न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 213/2024

अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. रामेदई पत्नी स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. लिलावती पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. मुर्ति उर्फ बसकरो पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र स्व0 सावित्री पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. पंकज पुत्री स्व0 सावित्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. किशोरी पुत्र सावित्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 478/360 के ख0न0 822/188 की 1.5180 हैक्ट भूमि जिसका वादी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 360/333 के खसरा न0 822/188 की 0.2530 हैक्ट भूमि सुलतान पुत्र मलुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सुलतान पुत्र मलुराम फौत हो चुका है जिसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है तथा सुलतान की एक पुत्री सावित्री भी फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है।

वादी व प्रतिवादीगण खेत पड़ौसी होने के कारण अपनी काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एवं रिहायशी ढाणी एवं आवागमन के रास्ते को ध्यान में रखते हुए भूमि का विभाजन कर लिया है तथा विभाजन के अनुसार व नक्शा विभाजन संलग्न समझौता के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है लेकिन मुताबिक समझौता भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है अतः नजरिया नक्शा विभाजन संलग्न समझौता के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, 821/188/2 की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर सुलतान के वारिस काबिज है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता समझौता/राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की मौजा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट, 821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, 821/188/2 की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर सुलतान के वारिस काबिज है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल काबिज है। अतः मुताबिक समझौता वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073-76 रोही मौजा बडबिराना खाता संख्या 478/360, 360/333, मृत्यु प्रमाण पत्र सुलतान, सदस्य प्रमाण पत्र बहक सुलतान व नजरीय नक्शा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज है प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या [illegible] है जो की सुलतान के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। [illegible] बीच पक्षकारान का समझौता हो चुका है मुताबिक सुमझौता मौजा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट, 821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, 821/188/2 की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट बारानी प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि पर सुलतान के वारिस काबिज है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 478/360 के ख0न0 822/188 की 1.5180 हैक्ट भूमि जिसका वादी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 360/333 के खसरा न0 822/188 की 0.2530 हैक्ट भूमि सुलतान पुत्र मलुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सुलतान पुत्र मलुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की सुलतान के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का समझौता हो चुका है मुताबिक सुमझौता रोही मौजा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट, 821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, 821/188/2 की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर सुलतान के वारिस काबिज है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट बारानी प्रथम की भूमि पर श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा समझौता/राजीनामा पेश किया जा चुका है की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। वाद में प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक सुलतान के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा समझौता/राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक समझौता/राजीनामा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक समझौता/राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 360/333 की कुल 0.2520 हैक्ट एवं खाता स0 478/360 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में रोही मौजाा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट, ख0न0 821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, ख0न0 821/188/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 प्रत्येक को 1/21 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, ख0न0 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, ख0न0 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 213 / 2024

अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. रामेदई पत्नी स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. लिलावती पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. मुर्ति उर्फ बसकरो पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र स्व0 सावित्री पुत्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. पंकज पुत्री स्व0 सावित्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. किशोरी पुत्र सावित्री स्व0 सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 213 सन 2024 निर्णय दिनांक –12/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री चन्द्रशेखसर एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 360/333 की कुल 0.2520 हैक्ट एवं खाता स0 478/360 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में रोही मौजाा बडबिराना के ख0न0 821/188/2 की 0.1008 हैक्ट, ख0न0 821/188/4 की 0.0252 हैक्ट, ख0न0 822/188/2 की 0.126 हैक्ट कुल 0.252 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 प्रत्येक को 1/21 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न0 821/188/1 की 0.11 हैक्ट, ख0न0 821/188/3 की 0.016 हैक्ट, ख0न0 821/188/1 की 1.392 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर